लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5625

26 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना

5625. श्री ए. राजाः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेशम उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना की विशेषताएं क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक तमिलनाडु सहित देशभर में मंजूर, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने राज्य/जिले/गांव शामिल किए गए हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक तमिलनाडु सहित देशभर में, विशेषकर कमजोर वर्ग के लिए सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है तथा समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग को आजीविका के अवसर मिले हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करके उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से देश में रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए 3 वर्षों (2017-18 से 2019-20 तक) के लिए कुल 2161.68 करोड़ रुपए के परिव्यय से केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 'सिल्क समग्र' के अंतर्गत एक एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना (आईएसडीएसआई) क्रियान्वित की गई है। इस योजना में 4 प्रमुख संघटक अर्थात (i) अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल, (ii) बीज संगठन, (iii) समन्वय और बाजार विकास तथा (iv) गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस)/निर्यात ब्रांड संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन हैं।

<u>योजना की विशेषताएं:</u>

'सिल्क समग्र' के सभी चार प्रमुख घटक एक-दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं और इनका लक्ष्य एक ही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रजनक भंडार, आरएंडडी परियोजनाओं के माध्यम से नस्ल सुधार, मशीनीकृत प्रक्रियाओं का विकास, रेशम उत्पादन सूचना लिंकेज और ज्ञान प्रणाली (एसआईएलकेएस) पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्टेक होल्डरों और बीज गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए मोबाईल एपलिकेशन, प्रौद्योगिकी पैकेज का विकास, स्टेक होल्डरों को उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण प्रदान करना और मौके पर प्रदर्शन के माध्यम से फील्ड में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित बेहतर रेशम कीट नस्लों के प्राथमिक एवं वाणिज्यिक बीज का उत्पादन, बीज क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना और रेशम कीट बीज, कोकून, कच्ची रेशम और रेशम मूल्य श्रृंखला सहित रेशम उत्पादन के लिए आरएण्डडी इकाईयों द्वारा स्थापित गुणवत्ता मानदंडों को बनाए रखना और प्रमाणित करना है।

<u>मुख्य कार्यक्रम:</u>

1. **अनुसंधान एवं विकास :** उन्नत हॉस्ट प्लांट की किस्मों का विकास करके प्रजाति में सुधार और आईआईटी, सीएसआईआर, आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थाओं के साथ सहयोग पूर्ण अनुसंधान के माध्यम से उन्नत रोग प्रतिरोधक रेशम कीट नस्लें।
2. **बीज संगठन :** रेशम उत्पादन के बढ़े हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, अच्छी गुणवत्ता वाली बीज कोकूनों का सृजन करने के लिए अपनाए गए बीज रियररों का संवर्धन, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन करने के लिए निजी रेशम उत्पादक और चौकी कीटों का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए उद्भवन की सुविधा के साथ चौकी रियिरंग केन्द्र (सीआरसी) के अलावा गुणवत्ता मानदंडों को उत्पादन नेटवर्क में लाने के लिए बीज उत्पादन इकाईयों को सुदृढ़ बनाया जाएगा।
3. **गुणवत्ता प्रमाणन/ब्रांड संवर्धन :** सिल्क मार्क द्वारा न केवल घरेलू बाजार में बल्कि निर्यात बाजार में भी गुणवत्ता प्रमाणन के माध्यम से भारतीय रेशम को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, मूल्य योजन के लिए पॉल्ट्री फीड के लिए रेशम कीट उप-उत्पाद (प्यूपा), कॉस्मेटिक एपलिकेशन और नॉन-वूवेन फैब्रिकों, सिल्क डेनिम, सिल्क निट आदि के लिए सेरिसिन के प्रयोग के लिए जोर दिया गया है।

   इस योजना में मलबरी, वान्या और कोकून पश्च क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए लाभार्थी उन्मुख विभिन्न संघटक भी शामिल हैं। इन पहलों में प्रमुख क्षेत्र अर्थात् (क) हॉस्ट प्लांट का विकास और विस्तार, (ख) रेशम कीट बीज बहुगुणन अवसंरचना की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, (ग) फार्म और

कोकून पश्च अवसंरचना का विकास, (घ) रेशम में रिलिंग और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का उन्नयन तथा कौशल विकास/उद्यम विकास कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण शामिल हैं।

उपर्युक्त योजनागत कार्यक्रमों से रेशम के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि/सुधार आने की संभावना है, योजना के अनुमानित परिणाम निम्नानुसार हैं-

- रेशम का उत्पादन वर्ष 2016-17 के दौरान 30,348 मी.ट. (मीट्रिक टन) से बढ़ाकर वर्ष 2019-20 के अंत तक 38,500 मी.ट. करना है।
- बाइवोल्टाइन आयात विकल्प रेशम का उत्पादन वर्ष 2016-17 में 5266 मी.ट. से बढ़ाकर 8500 मी.ट. तक करना है।
- वान्या कच्ची रेशम के उत्पादन को वर्ष 2016-17 में 9075 मी.टन से बढ़ाकर 11500 मी.टन करना।
- आयात को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए 4ए और उससे ऊपर की अंतरराष्ट्रीय ग्रेड वाली रेशम का उत्पादन करना।
- वर्ष 2016-17 में 85.10 लाख लोगों से मार्च, 2020 के अंत तक 100 लाख लोगों के स्तर तक पहुंचकर लगभग 15 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना।

(ख): तमिलनाडु सहित देश भर में वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान 'सिल्क समग्र' के अंतर्गत स्वीकृत/आबंटित और प्रयुक्त निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

2017-18		**2018-19**		**2019-20**	
स्वीकृत/आबंटित	**प्रयुक्त**	**स्वीकृत/आबंटित**	**प्रयुक्त**	**स्वीकृत/आबंटित**	**प्रयुक्त (आज तक, 2019)**
542.50	542.50	601.29	598.70	730.00	182.50

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान विभिन्न लाभार्थी उन्मुखी संघटकों के क्रियान्वयन के लिए 'सिल्क समग्र' के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के लिए जारी निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	**2017-18**	**2018-19**
तमिलनाडु (लाख रुपए में)	1110.44	622.42

(ग): 26 रेशम उत्पादक राज्यों में 455 जिलों के अंतर्गत 82562 गांवों को 'सिल्क समग्र' योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(घ): रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित कुटीर उद्योग है जिसमें ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार तथा आय सृजन की अपार क्षमता है। यह अनुमान है कि मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार रेशम उत्पादन उद्योग देश में ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में लगभग 91.20 लाख लोगों (तमिलनाडु राज्य में 3.40 लाख लोगों सहित) को रोजगार उपलब्ध कराता है। इनमें से कामगारों की बड़ी संख्या महिलाओं सहित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंध रखती है। इसका प्रमुख कारण भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा राज्य/केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं।

(ङ) और (च): 'सिल्क समग्र' योजना का प्रमुख उद्देश्य देश भर में रेशम उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से महिलाओं सहित दलित, निर्धन एवं पिछड़े आदिवासी परिवारों का सशक्तिकरण करना है। मल्बरी बाग प्रबंधन, लीफ हार्वेस्टिंग तथा रेशम कीट रियरिंग आदि जैसे निचले स्तर के रेशम उत्पादन के क्रियाकलापों में नियुक्त लोगों में से 60% से अधिक महिलाएं हैं। विविंग सहित रेशम रीलिंग उद्योग को भी महिलाओं द्वारा व्यापक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। 'सिल्क समग्र' के अंतर्गत महिला एसएचजी विभिन्न लाभार्थी उन्मुखी संघटकों विशेष रूप से समूह क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में संलग्न है। आदिवासियों द्वारा अपनी आजीविका के लिए रेशम उत्पादन क्रियाकलापों को शुरू करने हेतु जनजाति उप-योजना (टीएसपी) के अंतर्गत योजना के लाभार्थी उन्मुखी संघटकों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। इस योजना ने रोजगार प्रदाता के रूप में दलित, निर्धन, पिछड़े एवं आदिवासी परिवारों को आजीविका के लिए विभिन्न रेशम उत्पादन क्रियाकलापों को शुरू करने में सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर तथा आर्थिक स्थितियों में सुधार किया है।

*****